

Excluded Categories

- Reserved or Notified Forests में आने वाली भूमि,
- दिल्ली के रिज क्षेत्र में आने वाली भूमि,
- प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) द्वारा संरक्षित अथवा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित की गई भूमि,
- दिल्ली मास्टर प्लान के ज़ोन-ओ में आने वाली भूमि,
- यमुना बाढ़ क्षेत्र में आने वाली भूमि,
- मौजूदा सड़कों में आने वाली भूमि,
- मास्टर प्लान सड़कों में आने वाली भूमि,
- हाई टेंशन लाइनों के नीचे आने वाली भूमि,
- वर्तमान समय में किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत आरक्षित अथवा संरक्षित भूमि,
- समृद्ध अनधिकृत कालोनियाँ ।